nt>
Title: Requests to implement the projects, under the MPLAD Scheme.

SHRIMATI KRISHNA BOSE (JADAVPUR): Mr. Chairman, Sir, I am trying to raise an important issue regarding the MPLAD Scheme. I would like all my fellow Members to kindly cool down a little and listen to me.

Sir, I would like to bring to the notice of this House that acute distress is being caused to people because of undue and inexplicably long delays in the implementing the projects, under the MPLAD Scheme. This is causing great distress to the poor people, particularly the rural poor. The projects we have sanctioned for providing drinking water have not been implemented. We also have allocated funds for re-structuring the primary schools for the poor children. The primary schools are crumbling down. But nothing so far has been done on these counts.

Sir, I would like to bring to your notice my own experience in the last Lok Sabha. In January, 1997 I had sanctioned projects for providing drinking water and for construction of primary schools which were desperately needed by the rural people. But till this date nothing has been done about these projects.

Sir, we route the projects through the implementing agencies, in this case, the implementing agencies are the Departments of the State Governments like the PWD and the Public Health and Engineering Departments. I would like to have a categorical assurance from the Minister of Planning and Programme Implementation, who is present here, whether the Government could issue instructions to the State Government that these projects should be completed within a reasonable time and whatever we ask them to do should be done. Otherwise, even though the Government has increased the allocation to the Members of Parliament under the MPLADS, yet there is no use of getting money under the Scheme if the projects are not implemented and the poor people are not benefited. May I have a categorical assertion from the Minister of Planning and Programme Implementation about this?

">

श्री राम नाईक :सभापति महोदय,

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, ऐसा नार्मली नहीं होता है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, आप बैठिए।

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मुझे लगा कि इससे सबको लाभ होगा। इसलिँए मैं माननीय सदस्या श्रीमती बोस द्वारा उठाए गए मामले में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत यदि किसी माननीय सदस्य को यह लगे कि उसके निष्पादन में कठिनाई है और वहां काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो मैंने इस संबंध में सभी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है और जो नई गाइड लाइन है वह भी मैंने भेजी हैं। यदि कहीं किसी को लगे कि काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो मुझे इस बारे में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि वह काम ठीक प्रकार से हो। जहां तक पीने के पानी का सवाल है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रोजैक्ट के अंदर राज्य सरकार का सीधा संबंध नहीं है क्योंकि इस योजना के कार्यों को पूरा करने की कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है और यदि कोई अधिकारी कलैक्टिव काम नहीं करता है या जानबूझकर काम को डिले करता है और सांसद को लगे कि अधिकारी ने इसमें जानबूझकर विलंब किया है या गाइड लाइन के अनुसार काम नहीं किया है, तो

The matter could be referred and it would be a breach of privilege if a particular officer is not doing the work intentionally.

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इंडीविजुअली कोई बात होगी, तो मैं उसे सार्टआउट करने की कोशिश करूंगा।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे जिले में कलैक्टर द्वारा १५ लाख रुपए खत्म कर दिए गए। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखकर उनका ध्यान आकर्षित करें। उन्होंने कहा है कि अगर इंटैंशनली कोई अधिकारी स्कीम को नहीं बनाता है, तो विशेषाधिकार हनन का मामला उसके खिलाफ लाया जा सकता है।

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, मेरे मुरैना जिले की बात मैं कहना चाहता हूं। वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। आप उसके पर्टीकुलर लिखकर मंत्री जी को भिजवाईए।